कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रॉक व0स0–3 / मान्यता / 6994 / 2020–21 दिनांकः 30 / 09 / 2020

प्रबन्धक,

काम्पीटेंट पब्लिक स्कूल,

कैम्फर स्टेट, सी0बी0गंज,

महानगर, बरेली।

विषयः– स्थाई मान्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन–पत्र दिनांक 10.09.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रॉकः मान्यता / 23627–34 / 2016–17 दिनांक 05.12. 2016 के द्वारा कक्षा एन0 सी0 से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम की दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त अनन्तिम मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ, दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। ''प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि मे मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।''

आप द्वारा प्रस्तुत पत्र के प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी, महानगर की आख्या के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति में कोई विवाद नहीं है व विद्यालय मान्यता उपरान्त अद्यतन संचालित है। जिस कारण से शासनादेश दिनॉक 08.05.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आपके विद्यालय की मान्यता जारी रहेगी। यदि आगामी वर्षो मे यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो आपके विद्यालय के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, साथ ही आपको मान्यता सम्बन्धी नवीन शासनादेश दिनॉक 11.01.2019 एवं समय–समय पर निर्गत होने वाले नवीन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बरेली।

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक: मान्यता/ 23627-34 /2016–17 दिनॉक: 05/ 12/ 2016

ट पब्लिक स्कूल,(अंग्रेजी माध्यम)
ःस्टेट,सी0बी0गंज, महानगर–बरेली।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

/महोदया,

आपके दिनॉक 26/08/2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती /निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं कॉम्पीटेन्ट पब्लिक स्कूल, कैम्फर इस्टेट, सी0बी0गंज, महानगर–बरेली ॉक 01.04.2017 से दिनॉक 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए एन0सी0 से कक्षा–आठ तक माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देती हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

ता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

लय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

लय कक्षा एक में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक डो के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।

ायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके पेता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

ालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और ्रेनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित प्राविधान सुनिश्चित करेगाः–

वेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में हीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार प्र–पत्र प्रदान किया जाएगा।

ि नियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं , पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

अध्यापन अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

ालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

ालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखना।

। निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

Competent Public School

Manager Principal

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल --
कुल निर्मित क्षेत्र --
कीडा स्थल का क्षेत्रफल --
कक्षाओं की संख्या --
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडारगृह के लिए कक्ष --
बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक-प्रथक शौचालय --
पेयजल सुविधा --
मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई --
बाधारहित पहुँच --
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता --

द्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही जाएंगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के नों के लिए किया जाता है।

विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी टी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं जा रहा है।

विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा त किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक ण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी चाहिए।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 12/2016-17 है। कृपया इसे नोट कर लें और र्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों र करने के लिए जारी किए जाएं।

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ कर प्रेषित किए गए हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भविष्य में कोई त्रुटि असत्यता पाए जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(ऐश्वर्य लक्ष्मी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

: मान्यता/ /2016-17 तद्दिनॉक

पि: निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
चिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
हायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), बरेली मण्डल-बरेली।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बरेली।
जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, बरेली।
खण्ड शिक्षा अधिकारी, महानगर-बरेली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बरेली।

Competent Public School

Manager Principal